रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-127 REGISTERED NO. D. (DN)-127

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 251] नई दिल्ली, मंगलवार, मई 26, 1987/ज्येष्ठ 5, 1909
No. 251] NEW DELHI, TUESDAY, MAY 26, 1987/JYAISTHA 5, 1909

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक विकास विभाग)

नई दिल्ली, 26 मई, 1987

अधिसूचना

का. आ. 513 (अ) :—केन्द्रीय सरकार, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 29 ख की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय औद्योगिक

विकास विभाग की अधिसूचना सं. का. आ. 141 (अ) तारीख 31 मार्च, 1986 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में, शर्त (3) और (4) के स्थान पर निम्नलिखित शर्तें रखी जाएंगी, अर्थात् :—

"(3) औद्योगिक उपक्रम ने आवेदन की तारीख से पूर्व पांच वर्षों में से किसी में अनुज्ञप्त क्षमता का कम से कम 80 प्रतिशत या अधिक पूरा कर लिया है ।

(4) अनुज्ञप्ति/रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र पर पृष्ठांकित की जाने वाली क्षमता आवेदन की तारीख से पूर्व पांच वर्षों में से किसी के दौरान पूरे किए गए अधिकतम उत्पादन और उसके अतिरिक्त 33⅓ प्रतिशत तक सीमित होगी ।"

[फा. सं. 10/52/85—एस पी]

एस. के. लाल, संयुक्त सचिव

टिप्पण :—मूल अधिसूचना सं. 141 (अ) तारीख 31 मार्च, 1986 का निम्नलिखित द्वारा संशोधन किया गया :

(1) अधिसूचना सं. का.आ. 77 (अ) तारीख 13-2-1987

MINISTRY OF INDUSTRY

(Department of Industrial Development)

New Delhi, the 26th May, 1987

NOTIFICATION

S.O. 513(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 29B of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951, (65 of 1951), the Central Government hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Industry, Department of Industrial Development No. S.O. 141 (E) dated 31st March, 1986, namely :—

In the said notification, for the conditions (3) and (4), the following conditions shall be substituted, namely :—

"(3) The industrial undertaking should have achieved atleast 80 per cent or more of the licensed capacity during any of the five years preceding the date of application.

(4) The capacity to be endorsed on the licence|Registration Certificate shall be limited to the highest production achieved during any of the five years preceding the date of application plus 33⅓ per cent thereof."

[F. No. 10|52|85-L.P.]

S. K. LALL, Jt. Secy.

NOTE :

The Principle Notification No. 141 (E) dated 31st March, 1986 was subsequently amended by (1) Notification No. S.O. 77 (E) dated 18-2-1987.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1987